न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 27/2020

अपीलांट

हरीराम पुत्र चमनारामजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी रणोदर, तहसील चितलवाना, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. लादूराम पुत्र रामूरामजी
2. किशनाराम पुत्र राजूजी
3. सोहनलाल पुत्र राजूजी
4. मृतक वरजू बेवा राजूजी (कायम मुकाम पहले से ही रेकर्ड पर है) जातिगण विश्नोई, निवासीगण रणोदर, तहसील चितलवाना जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री त्रिलोक चंद महेता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 4/3/2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा प्रकरण संख्या 08/2016 बउनवान लादूराम बनाम हरीराम में पारित आदेश दिनांक 07.08.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 में आने जाने हेतु अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 2857 व 2858 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर कभी भी अस्तित्व में नही रहा है, साथ ही जिसे स्थान से रास्ता चाहा गया है उस स्थान पर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलांट की दुकाने बनी हुई है, पानी टांका बना हुआ है, दुकानो के पीछे ट्यूबवेल खुदा हुआ है, जहां से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट को खसरा नंबर 2859 में से निकटतम रास्ता उपलब्ध हो सकता है, जहां से रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी भूमि में आता जाता रहा है, इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2753 के पास में से ही नर्बदा नहर निकाली गई है। नर्बदा नहर के दोनो तरफ 60–60 फीट के रास्ते दशको से आने जाने हेतु रखे गये है, उक्त रास्ते से भी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता निकटतम है, जहां से रास्ता दिया जा सकता है, किन्तु अपीलांट के से पूर्व रंजिश के कारण अपीलांट की खातेदारी से रेस्पोडेन्ट रास्ता निकालने पर आमादा है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2016 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जो मौके की स्थिति के विपरित होने से अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, किन्तु आपत्ति स्वीकार नहीं किये जाने पर अपीलांट की ओर से राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मंउल द्वारा दोनो पक्षो के रूबरू मौका रिपोर्ट बनाये जाने हेतु और मौका देखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर पुनः मौका देखा गया, किन्तु दुबारा मौका रिपोर्ट बनाये जाने के समय अपीलांट द्वारा सुझाये गये रास्तो बाबत न तो भू–अभिलेख निरीक्षक ने जांच की, न ही इस संबध मे जांच रिपोर्ट में कोई फाईडिंग दी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, 251 ए के मूल उदेश्य को दरकिनार करते हुए, अपीलांट के जवाब को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 में आने जाने हेतु अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 2857 व 2858 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चितलवाना से मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251 ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

27/2020

हरीराम बनाम लादूराम वगैरह

पेज संख्या 3/4

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 में आने जाने हेतु अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 2857 व 2858 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार चितलवाना से वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न समस्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं हुआ है। रास्ता एक प्राकृतिक सुखाचार एवं प्राकृतिक अधिकार है, जिसे किसी भी रूप से छीना नहीं जा सकता है। अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष दौराने बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में यह निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 2859 एवं 2751 से निकटतम रास्ता होना बताया है। इस संबध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से उक्त तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होता है। न्यायालय की उदेश्य पक्षकारो को न्याय देना है। हस्तगत प्रकरण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी में आने–जाने हेतु खसरा नंबर 2859 व 2751 से निकटतम रास्ता होना स्पष्ट है, जिससे उक्त दोनो खसरो से रेस्पोडेन्ट को रास्ता दिया जाता है तो इससे पक्षकारो के मध्य वाद–विवाद नहीं बढेगा एवं धारा 251 ए की प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को न्याय मिलेगा। न्यायालय का यह दृष्टिकोण रहता है कि अनावश्यक विवाद नही बढे तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी से बचा जा सके जिससे किसानो की अनावश्यक मानसिक अशांति तथा बार बार पैसों की बर्बादी एवं समय बर्बाद होता है इन सभी से निजात दिलवाना लक्ष्य रहता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा प्रकरण संख्या 08/2016 बउनवान लादूराम बनाम हरीराम में पारित आदेश दिनांक 07.08.2020 को अपास्त किया जाता है इस न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 2859 व 2751 मे से रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी में आने–जाने हेतु दोनो रास्ते के विकल्प स्वीकृत किये जाते है। एवं उपखंड अधिकारी चितलवाना को निर्देशित किया जाता है उक्त दोनो खसरो में से जो भी लघुतम दूरी का मार्ग हो, धारा 251 ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए संबधित खसरा के

खातेदार के खाते में नियमानुसार राशि जमा करे एवं स्वीकृत रास्ते की तरमीम करवाकर 01 माह में पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 4/3/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली